न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 35 सन 2018

अनवान :–

1. अनिल कुमार पुत्र पतराम जाति जा निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. हरलाल पुत्र नानकराम जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।

सायलान

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी पूरबसर तहसील रावतसर
2. शंकरलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी पुरबसर तहसील रावतसर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
4. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई बैक शाखा रावतसर तहसील रावतसर

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल
श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 2/3/2021

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 362/505 के खसरा न0 1/2 की 7.069हैक खसरा न0 3/2 की 0.581हैक खसरा न0 557/2 की 6.310हैक खसरा न0 558/1 की 0.594हैक खसरा न0 864/2 की 2.820हैक खसरा न0 866/1 की 3.073हैक कुल 20.447हैक भूमि में सायल न0 1 व दावा में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार से सायल न0 2 की खसरा न0 1/1 की 7.069हैक खसरा न0 3/1 की 0.582हैक खसरा न0 558/2 की 1. 568हैक खसरा न0 559 की 4.552हैक खसरा न0 864/1 की 5.172हैक कुल 18.943हैक भूमि दर्ज जिसके वादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 187/141 के खसरा न0 4 की 3.3380हैक खसरा न0 5 की 0.1130हैक कुल 3.4510हैक भूमि जिसके गेरसायल न0 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

सायलान व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण एक दुसरे के सीव पडोसी है तथा गैरसायल न0 1 ,2 की भूमि सायलान के दक्षिण सीव के चिपते हुए लगती है सायलान ने अपने पूर्वजों के समय से कदीमी सीव कायम कर रखी है तथा सीव पर करीबन 18 खेजडी के पेड खडे है तथा वादीगण ने वाद भूमि का समतल व उपजाउ बनाने के लिये लाखों रूपये खर्च किये है खेत में पानी की डिग्गी एवं टयूबवेल लगा रखा है तथा ढाणी मकानात बना रखे है परन्तु गैरसायलान लालची किस्म का व्यक्ति है तथा अपनी उबड खाबड जमीन होने के कारण सायलान की भूमि पर नजर है तथा सायलान की सीव डोल को मिस्मार करने पर आमादा है एक दो बार पूर्व में कोशिश कर चुके है।

गैरसायल सायलान की भूमि की सीव पर खडे खेजडी के पडों को तोड कर सायलान की कदीमी सीव को मिस्मार कर सायलान की भूमि में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे है यदि गेरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह सायलान की भूमि में बलपूर्वक प्रवेश ना करे ना ही सायलान की सीव पर खडे खेजडी के पडों को किसी प्रकार का नुकसान पहुचाये रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 362/505 के खसरा न0 1/1 की 7.069हैव , 3/1 की 0.582हैव सायल न0 2 की खातेदारी भूमि एव खसरा न0 1/2 की 7.069हैव खसरा न0 3/2 की 0.581हैव सायला न0 1 व दावा में प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 की खातेदारी भूमि की दक्षिण में स्थित सीव को गैरसायल न0 1 ,2 जिनके उत्तर में उक्त भूमि है पर स्थित सीव को कायम रखे सीव को मिस्मार ना करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 3, 4 फोरगल पक्षकार है जिनके जबाव की आवश्यकता नही है

गेरसायल न0 1 ,2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित अस्वीकार करते हुए जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया की

सायलान का प्रार्थना पत्र अधारहीन बिना किसी नियम कानुनी के पेश किया गया है सायलान अपने खेत की पैमाईश करवाये बगैर गैरसायल की खरीदशुद्वा भूमि बाबत आधारहीन आधारों पर प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाई गई है नियमानुसार सायलान गैरसायलान को किसी भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है गैरसायल वादग्रस्त भूमि का खरीदशुद्वा खातेदार काश्तकार है गैरसायलान अपनी खरीदशुद्वा भूमि की पैमाईश करवाना चाहते है जिससे मौका स्थिति स्पष्ट हो सके जबकि सायलान अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में मौका पैमाईश नही होना देना चाहते है मौका पैमाईश से अदालत के समक्ष असलियत नही आ सके सायलान मात्र वादग्रस्त भूमि की पैमाईश ना हो सके इसलिये प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है सायलान के प्रार्थना पत्र से कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनता है ना ही धारा 212आरटीएक्ट के महत्वपूर्ण बिन्दु साबित होते है यदि अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म किया जाता है तो खरीददार गैरसायल को तुलनात्मक रूप से अधिक नुकसान होता है इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। जबाव प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किया जाकर उभपक्षों की बहस सुनी गई ।

सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 362/505 के खसरा न0 1/2 की 7.069हैक्‍ खसरा न0 3/2 की 0.581हैक्‍ खसरा न0 557/2 की 6.310हैक्‍ खसरा न0 558/1 की 0.594हैक्‍ खसरा न0 864/2 की 2.820हैक्‍ खसरा न0 866/1 की 3.073हैक्‍ कुल 20.447हैक्‍ भूमि में सायल न0 1 व दावा में तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसीप्रकार से सायल न0 2 की खसरा न0 1/1 की 7.069हैक्‍ खसरा न0 3/1 की 0.582हैक्‍ खसरा न0 558/2 की 1.568हैक्‍ खसरा न0 559 की 4.552हैक्‍ खसरा न0 864/1 की 5.172हैक्‍ कुल 18.943हैक्‍ भूमि दर्ज जिसके वादी संख्या 2 खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 187/141 के खसरा न0 4 की 3.3380हैक्‍ खसरा न0 5 की 0.1130हैक्‍ कुल 3.4510हैक्‍ भूमि जिसके गेरसायल न0 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार है।

सायलान व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण एक दुसरे के सीव पडोसी है तथा गैरसायल न0 1 ,2 की भूमि सायलान के दक्षिण सीव के चिपते हुए लगती है सायलान ने अपने पूर्वजों के समय से कदीमी सीव कायम कर रखी है तथा सीव पर करीबन 18 खेजडी के पेड खडे है तथा वादीगण ने वाद भूमि का समतल व उपजाउ बनाने के लिये लाखों रूपये खर्च किये है खेत में पानी की डिग्गी एवं टयूबवेल लगा रखा है तथा ढाणी मकानात बना रखे है परन्तु गैरसायलान लालची किस्म का व्यक्ति है तथा अपनी उबड खाबड जमीन होने के कारण सायलान की भूमि पर नजर है तथा सायलान की सीव डोल को मिस्मार करने पर आमादा है एक दो बार पूर्व में कोशिश कर चुके है।

गैरसायल सायलान की भूमि की सीव पर खडे खेजडी के पडों को तोड कर सायलान की कदीमी सीव को मिस्मार कर सायलान की भूमि में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे है यदि गेरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वह सायलान की भूमि में बलपूर्वक प्रवेश ना करे ना ही सायलान की सीव पर खडे खेजडी के पडों को किसी प्रकार का नुकसान पहुचाये रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायल न0 1 ,2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायलान का प्रार्थना पत्र अधारहीन बिना किसी नियम कानुनी के पेश किया गया है सायलान अपने खेत की पैमाईश करवाये बगैर गैरसायल की खरीदशुद्वा भूमि बाबत आधारहीन आधारों पर प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाई गई है नियमानुसार सायलान गैरसायलान को किसी भी अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नही है गैरसायल वादग्रस्त भूमि का खरीदशुद्वा खातेदार काश्तकार है गैरसायलान अपनी खरीदशुद्वा भूमि की पैमाईश करवाना चाहते है जिससे मौका स्थिति स्पष्ट हो सके जबकि सायलान अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में मौका

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पैमाईश नही होना देना चाहते है मौका पैमाईश से अदालत के समक्ष असलियत नही आ सके सायलान मात्र वादग्रस्त भूमि की पैमाईश ना हो सके इसलिये प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की गई है सायलान के प्रार्थना पत्र से कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नही बनता है ना ही धारा 212आरटीएक्ट के महत्वपूर्ण बिन्दु साबित होते है यदि अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला कन्फर्म किया जाता है तो खरीददार गैरसायल को तुलनात्मक रूप से अधिक नुकसान होता है इसलिये सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने के कारण खारीज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार सायलान एवं गैरसायल न0 1 ,2 एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है और गैरसायल न0 1 ,2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि खरीदशुद्रा होना व्यक्त किया गया है

सायलान का कथन है कि गैरसायल सायलान की खातेदारी भूमि की कदीमी समय से बनी आ रही सीव डोल को मिस्मार कर उसकी खातेदारी भूमि में प्रवेश करना चाहते है जबकि गैरसायलान का कथन है उसके द्वारा खरीद की गई भूमि पर काबिज होना चाहता है जो वाद भूमि की पैमाईश करवाने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।

सायलान एवं गैरसायलान दोनो का कथन ही स्वीकार योग्य है क्योकि कोई भी खातेदार दूसरे खातेदार के खेत में बनी सीव डोल को मिस्मार करने का अधिकारी नही है एव खातेदार अपने खेत की पैमाईश करवाकर सही स्थिति के अनुसार अपने खेत की सीव कायम करवाने का अधिकारी है।

सायलान एवं गैरसायलान के कथनों/बहस के अनुसार गैरसायल सायलान की सीव तोड़ना चाहते है जबकि गैरसायलान का कथन है वह पैमाईश करवाकर अपनी खरीदशुद्वा भूमि पर काबिज होना चाहते है।

गैरसायल का कथन है कि सायलान अस्थायी निषेधाज्ञा की आड में पैमाईश नही होना देना चाहते जो न्यायोचित नही है कोई भी खातेदार अपने हक हिस्सा की भूमि की पैमाईश करवाने के लिये स्वतन्त्र है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है तथा गैरसायलान सायलान की भूमि की सीव डोल को बिना अधिकार मिस्मार नही करे इसके लिये पाबन्द किया जाना भी न्यायोचित है।

इसप्रकार प्रकरण में स्थिति स्पष्ट करने के लिये उभयपक्षों को वादग्रस्त भूमि की पैमाईश करवाने की छुट दी जानी उचित है तथा साथ ही किसी प्रकार का विवाद ना हो इसके लिये उभयपक्षों को पाबन्द किया जाना भी न्यायोचित है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र उक्त विवेचन अनुसार आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 17.04.2018 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है किन्तु वाद भूमि की पैमाईश करवाने हेतु उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा अर्थात गैरसायलान वाद भूमि की पैमाईश करवाने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 2/3/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner